2.7.2024

खारीज
13.6.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/153

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

हेमराज बनाम जीतराम आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 80 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18.03.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 23.04.2024 को पेश हो।	
23.4.2024	एकुलाए एकक उपस्थित/PU माह अप्रैल में 04 पेश है। पत्रावली पूर्वनियमित गस्त वकी दिनांक 26.4.2024 को पेश हो	
26.4.2024	एकुलाए एकक उपस्थित/PU माह अप्रैल में 04 पेश है। पत्रावली पूर्वनियमित गस्त वकी दिनांक 30.4.2024 को पेश हो	
30.4.2024	एकुलाए एकक उपस्थित/PU माह अप्रैल में 04 पेश है। पत्रावली पूर्वनियमित गस्त वकी दिनांक 3.05.2024 को पेश हो	
3.5.2024	एकुलाए एकक उपस्थित/PU माह अप्रैल में 04 पेश है। पत्रावली पूर्वनियमित गस्त वकी दिनांक 13.6.2024 को पेश हो	
13.6.2024	वकील वादी ने प्रार्थना पत्र सिवाल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण में राजीनामा हो गया। इस लिए वाद पत्र को मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते है। अतः वाद-पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज [illegible] है। पत्रावली [illegible] से [illegible] वकील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	राजीनामा होने के कारण मेरी कार्यवाही नहीं चलाई हेमराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.06.19 18:23:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner